

उत्तर प्रदेश शासन
एन.आर.आई.अनुभाग
संख्या:13/2018/125/93-18-03NRI/14
लखनऊ:दिनांक: 01 मई, 2018

"अप्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार" मार्गदर्शक सिद्धांत (प्रथम संशोधन)-2018

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या:10/93(NRI)-6-15-03 NRI/14, दिनांक: 20 जनवरी, 2015 द्वारा प्रख्यापित "अप्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार" मार्गदर्शक सिद्धांत के नियम(11) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल मार्गदर्शक सिद्धांत के नियम(4) में संशोधन करने की दृष्टि से, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए वर्तमान नियम (4) को स्तम्भ-2 से प्रतिस्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं ।

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान नियम(4)	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(4) पुरस्कार- बिंदु संख्या-3 में उल्लिखित विधाओं के विशिष्ट व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश अप्रवासी रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया जाएगा जहां तक संभव हो एक विधा एवं क्षेत्र से कम-से-कम एक महानुभाव का चयन किया जाएगा विशेष परिस्थितियों में यदि किसी वर्ष पृथक-पृथक विधाओं में सुयोग्य महानुभावों का चयन सम्भव नहीं है तो प्रस्तर-3 में उल्लिखित विधाओं एवं अन्य क्षेत्रों में एक से अधिक महानुभावों का चयन किया जा सकता है उक्त पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कृत महानुभावों को अंगवस्त्र एवं ताम्रपत्र/मोमेंटो भेंट स्वरूप प्रदान किया जाएगा इसके अतिरिक्त पुरस्कृत महानुभावों को समारोह में सम्मिलित होने हेतु आने	(4) पुरस्कार- बिंदु संख्या-3 में उल्लिखित विधाओं के विशिष्ट व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश अप्रवासी रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया जाएगा जहां तक संभव हो एक विधा एवं क्षेत्र से कम-से-कम एक महानुभाव का चयन किया जाएगा विशेष परिस्थितियों में यदि किसी वर्ष पृथक-पृथक विधाओं में सुयोग्य महानुभावों का चयन सम्भव नहीं है तो प्रस्तर-3 में उल्लिखित विधाओं एवं अन्य क्षेत्रों में एक से अधिक महानुभावों का चयन किया जा सकता है सम्मिलित रूप से अधिकतम 08 महानुभावों को रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जायगा अधिक से अधिक संख्या में विभिन्न विधाओं से पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त करने हेतु

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

तथा जाने का एयर-फेयर (बिजनेस क्लास) का भुगतान भी किया जाएगा ।

वेबसाईट / इमेल तथा अन्य स्रोतों द्वारा अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जायगा। "उत्तर प्रदेश अप्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार" का गरिमामयी सम्मान किसी व्यक्ति को उसके जीवन काल में एक बार ही प्रदान किया जायेगा । उक्त पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कृत महानुभावों को अंगवस्त्र एवं ताम्रपत्र/मोमेंटो भेंट स्वरूप प्रदान किया जाएगा । इसके अतिरिक्त पुरस्कृत महानुभावों को समारोह में सम्मिलित होने हेतु आने तथा जाने का एयर-फेयर (बिजनेस क्लास) का भुगतान भी किया जाएगा । पुरस्कार की संसूचना की तिथि के उपरान्त (आगमन हेतु) एवं इवेंट की नियत तिथि से 15 दिन के अवधि (वापसी हेतु) के अन्दर कराये गए वायुयान टिकट बुकिंग की प्रतिपूर्ति की जायेगी, बोर्डिंग पास (मूल रूप में) अथवा सहयोगी संस्था द्वारा यात्रा का प्रमाणन (Certification) बिल के साथ आवश्यक होगा। वायुयान यात्रा समारोह के लिए चिह्नित शहर तक अनुमन्य होगी, इसमें तर्कसंगत रूट मान्य होगा । सम्मानित महानुभावों के साथ उनके परिजनों की संख्या अधिकतम 02 सीमित होगी परन्तु परिजनों पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय-भार का वहन सम्बन्धित महानुभाव द्वारा स्वयं अपने खर्च पर किया जायेगा ।

2. नियम (4) के उपर्युक्त प्रतिस्थापित नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे । अधिसूचना दिनांक 20.01.2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय ।

(आलोक सिन्हा)

अपर मुख्य सचिव,

एन.आर.आई विभाग ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 13/2018/125(1)/93-18-03 NRI/14, तद्दिनांक

उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद |
2. मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन |
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, उ० प्र० शासन |
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन |
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा /संस्कृति /आई.टी.एवं इलेक्ट्रॉनिक्स / चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / सूचना / पर्यटन / अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/ एन.आर.आई.विभाग |
6. सचिव/संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय(CPV&OIA-II), भारत सरकार, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 |
7. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर |
8. अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी माल एवेन्यू, लखनऊ |
9. विशेष सचिव एन.आर.आई.विभाग सह संयुक्त अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी माल एवेन्यू, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उ०प्र०अप्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार हेतु चयन की प्रक्रिया अधिसूचना में विहित प्रावधानों एवं समय-सारिणी के अनुसार प्रारम्भ कराने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें |
10. स्थानिक आयुक्त, उ०प्र०, NBBC Place UGF, Bhisim Pitamah Marg, Pragati Vihar, नई दिल्ली |
11. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क, उ०प्र० |
12. प्रभारी एन.आर.आई.सेल उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर/लखनऊ |
13. निजी सचिव, मा.राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), एन.आर.आई.विभाग, उ०प्र० |
14. गार्ड फाइल |

आज्ञा से

(आलोक कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।